

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

काली

बनाम

रवमा मुख्तियार जयनेतराज

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 180/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
12.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <input checked="" type="checkbox"/> काली</p> <p>पिता श्री <u>हजारी श्री</u></p> <p>निवासी- <u>सज्जामपुर (बदरख)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बदरख</u> <u>पक्ष (आवलहेर) बस्ती</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1748, 1749, 1750</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>1.4100</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बदरख (आवलहेर) बस्ती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1748, 1749, 1750</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>1.4100</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षर <u>रउ हजारी रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्भित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>